

ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ

ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸੰਘੀ ਪਦ ਵਿਭਾਗ

(Classification of the basis of ownership)

ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸੰਘੀ ਪਦ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ  
ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੀ ਸੰਘੀ

(i) ਸਰਕਾਰੀ ਵਪਾਰੀ (Government company) :-

ਵਪਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਇਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ  
ਵੱਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ 51% ਅਤੇ  
ਵੱਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  
ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਜਦੋਂ 1960 ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਵੱਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  
ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  
ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

(ii) ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਪਾਰੀ (Non-government company) :-

ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਵੱਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  
ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  
ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ



B.O

अन्य आधार पर वर्गीकरण (classification on other basis)

उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार की वर्गीकरण निम्न आधार पर भी किया जा सकता है।

(ii) बैंकिंग कंपनी (Banking company) :-

जो कंपनी बैंकिंग के कार्य-क्षेत्र में (अर्थात्, धन को लेन-देन कार्य) में बैंकिंग कंपनी बनती है उसे बैंकिंग कंपनी कहते हैं। भारत 1949 के बैंकिंग कंपनी अधिनियम द्वारा बैंकिंग कंपनी को अलग नियमों से चलाया गया है। 1958 के अधिनियम में यह सब एक अधिनियम में मिलाया गया है। बैंकिंग कंपनी 1949 के अधिनियम के अंतर्गत गठित की जाती है।

(iii) विदेशी कंपनी (Foreign company) :-

यदि कोई कंपनी भारत में पंजीयत नहीं है और जो भारत में बैंकिंग के अलावा अन्य कार्य-क्षेत्र में बैंकिंग कंपनी की विदेशी कंपनी बनती है उसे बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1958 के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है। यह शक्ति है कि यह अपने लेखा-विज्ञान आधारित पत्रों, वित्तों तथा वित्तों पर अपने देश की न्याय प्रणाली के अंतर्गत भारत के देश को बैंकिंग कंपनियों के अधिनियम में शामिल करने के लिए अपने देश के अधिनियमों को लागू करे। बैंकिंग कंपनी का जो देश को बैंकिंग, बैंकिंग के अधिनियमों के अधिनियमों में शामिल करने के लिए अपने अधिनियमों को लागू करे। बैंकिंग अधिनियम 1958 के अधिनियम में शामिल किया गया है।

[अधिनियम 59]



(iii) बीमा कंपनी (Insurance company) :-

एक बीमा कंपनी बीमा के व्यापार में अन्य उद्योगों के व्यापारों से भिन्न बीमा व्यापार है। बीमा कंपनी एक संस्था है।

यह बीमा संस्था बीमा के व्यापार में अन्य उद्योगों से भिन्न है। यह बीमा संस्था बीमा के व्यापार में अन्य उद्योगों से भिन्न है। यह बीमा संस्था बीमा के व्यापार में अन्य उद्योगों से भिन्न है।

बीमा कंपनी 1938 के बीमा अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है। यह बीमा कंपनी 1938 के बीमा अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है। यह बीमा कंपनी 1938 के बीमा अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है।

(iv) अर्थव्यवस्था कंपनी (Charitable company) :-

यह एक अर्थव्यवस्था कंपनी है। यह अर्थव्यवस्था कंपनी है। यह अर्थव्यवस्था कंपनी है। यह अर्थव्यवस्था कंपनी है। यह अर्थव्यवस्था कंपनी है।

यह अर्थव्यवस्था कंपनी है। यह अर्थव्यवस्था कंपनी है। यह अर्थव्यवस्था कंपनी है। यह अर्थव्यवस्था कंपनी है। यह अर्थव्यवस्था कंपनी है।



(vi) निविदा कंपनी (Deposit company) :-

ये कंपनी को एक व्यापक वर्ग के लोग हैं जो निवेश के लिए दानों को देते हैं। "निविदा कंपनी" कहलाते हैं।  
इस कंपनी का अधिनियम 1956 के भाग 506 के अन्तर्गत, यह निविदा के नाम के ~~अधिकार~~ अधिकार से ही होने के अन्तर्गत है।  
इसलिए को दिया गया है।

(vii) एक व्यक्ति या परिवार के सदस्यों की कंपनी (One man company or family company) :-

यह अर्थ के अनुसार है कि एक एक व्यक्ति या परिवार के सदस्यों के द्वारा शुरू की गई है।  
अर्थात् यह एक ही व्यक्ति द्वारा शुरू की गई है। (Nominal)  
यह नाम के (Dummies) होते हैं जो कि नाम के अन्तर्गत  
के अन्तर्गत के अन्तर्गत होते हैं जो कि अर्थ के अनुसार है।  
इसलिए को दिया गया है।  
इसलिए को दिया गया है।  
इसलिए को दिया गया है।

होना है कि यह एक ही व्यक्ति या परिवार के सदस्यों के द्वारा शुरू की गई है।  
अर्थात् यह एक ही व्यक्ति द्वारा शुरू की गई है। (Nominal)  
यह नाम के (Dummies) होते हैं जो कि नाम के अन्तर्गत  
के अन्तर्गत के अन्तर्गत होते हैं जो कि अर्थ के अनुसार है।  
इसलिए को दिया गया है।